भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3554**

(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**पश्चिमी बंगाल में ऋण और लघु ऋण स्कीम**

3554. श्री विवेक गुप्ताः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल ने 2016-17 के लिए सावधि ऋण और सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने वाली स्कीम में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं;

(ख) वर्ष 2016-17 के लिए देश में अल्पसंख्यकों को सावधि ऋण और लघु ऋण प्रदान कराने वाली स्कीम में प्राप्त की गई वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को ऋण और सूक्ष्म ऋण के संवितरण में पश्चिमी बंगाल से सबक लेकर सर्वोत्तम प्रणाली को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क):** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), पश्चिम बंगाल द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, वर्ष 2016-17 में पश्चिम बंगाल में 48,01,869 खातों में 19,086.69 करोड़ रुपए का मियादी ऋण एवं सूक्ष्म ऋण का संवितरण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

**(ख):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों के 1,53,85,395 खातों में 3,000,42.32 करोड़ रुपए बकाया हैं।

**(ग):** देश भर में कार्यान्वयन के अनुभव एवं की गई पहल के आधार पर, सरकार एवं आरबीआई ने अल्पसंख्यक समुदाय के उधारदाताओं के लिए ऋण उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) से 121 अभिचिह्नित अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में ऋण उपलब्धता की निगरानी करने का अनुरोध, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र को ऋण देने के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन पत्र बाह्य एक्‍सपोजर (ओबीई) के समतुल्‍य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत का निर्धारण, जिसके तहत कमजोर वर्गों, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं, को ऋण प्रदान करने के लिए एएनबीसी या तुलन पत्र बाह्य एक्‍सपोजर के समतुल्‍य ऋण राशि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का एक उप लक्ष्‍य निर्धारित करने का अधिदेश, अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन, आदि शामिल है।

\*\*\*\*\*